(1)

(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक I/निगरानी/सागर/भू.रा/2017/3778 /2017 जिला–सागर

1– दरयाब पुत्र श्री हरगोविन्द
निवासी – ग्राम सपली तहसील कुरवाई
जिला – सागर (म.प्र.)

2– सन्तोष पुत्र श्री पूरन चन्द्र

3– रमेश चन्द्र पुत्र श्री पूरन चन्द्र

4– प्रकाशचन्द्र पुत्र श्री पूरन चन्द्र

5– सुरेश चन्द्र पुत्र श्री पूरन चन्द्र
निवासीगण – मंडी बामौरा तहसील बीना
जिला–सागर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

कडोरी लाल पुत्र श्री हीरालाल जैन
निवासी – – मंडी बामौरा तहसील बीना
जिला–सागर (म.प्र.)

...... अनावेदक

दिवाकर दीक्षित (एड.) 10/10/17

पेशी दिनांक 12-10-17

दिवाकर दीक्षित (एड.) राजस्व मंडल मप्र ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार बीना जिला सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदकगण के कृषि भूमि मौजा सनाई प.ह.नं. 62 तहसील बीना में स्थित भूमि में खसरा नं. 296 रकवा 1.06 है0, खसरा नं. 297/1 रकवा 1.59 है0, खसरा नं. 297/3 रकवा 1.58 है0, खसरा नं. 297/2 रकवा 1.59 है0 कृषि है। जिसपर आवेदकगण मालिक काबिज है, व कृषि कार्य करते है।

2– यहकि, अनावेदक ने अपनी कृषि भूमि ग्राम सनाई भूमि खसरा नं. 290/2 रकवा 0.47 है0 एवं खसरा नं. 291 रकवा 0.45 है0 भूमि का सीमांकन कराया। लेकिन जो सीमांकन दिनांक 31.03.2017 को किया गया है, इसकी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

२

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3778 दरयाब विरूद्ध करोडीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक दरयाब एवं अन्य की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं अनावेदक करोडी लाल की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार बीना जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 20/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-10-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

22/10/18

4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

22.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य